Form No – III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोलायत

मंजुदेवी

बनाम

AVAADA SUNRAYS ENERGY PRIVATE LIMITED आदि

किस्म मुकदमा :– प्रार्थना पत्र न. 6 सन् 2022

अन्तर्गत धारा :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत्

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवही मय इनिषियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई
31/01/2022	आज यह प्रार्थना पत्र श्री अरूण राठौड़ा ने पेश किया। प्रार्थना पत्र सरिस्ते से रिपोर्ट होकर पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जरिये रजिस्टर एडी भिजवाया जावें। खर्चा प्राथिनी वहन करें। प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थनां पत्र रिकॉर्ड व शपथ पत्र के आधार पर इकतरफा अन्तिरम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आश्य की जारी की जांती है कि ग्राम नोखडा खसरा नम्बर 61 में कुल तादादी 15.3257 हैक्टर भूमि की मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति आयन्दा दिनांक 22.02.2022 तक बनायी रखी जावें। अप्रार्थीगण को इसमें कोई आपत्ति हो तो आगामी पेशी दिनांक 22/02/2022 को इस न्यायालय में असालतन/वकालतन उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 22/02/2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला–बीकानेर	
22/02/22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया। जो शामिल मिसल हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 24/02/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला–बीकानेर	
24/02/22	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वाद स्वीकार किया जाकर खाता विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला–बीकानेर	

Scanned with CamScanner